

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 14-05-18

**विषय:-** सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 46 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹780.67 लाख SC घटक में एवं ₹1240.22 लाख Other than SC & ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹2020.89 लाख (बीस करोड़ बीस लाख नवासी हजार रू० मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश-** स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

राज्य के 46 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्रांक-N-11014/10/2017-HFA-III-UD(CN 9027263) दिनांक-27.03.2018 द्वारा ₹152,06.40 लाख विमुक्त कि गई है। यह राशि विभाग में योजनान्तर्गत संधारित बैंक खातों में स्थानान्तरित की गई हैं। इसके अनुपातिक राज्यांश ₹ 968.80 लाख SC मद में, ₹104.20 लाख रू० ST मद में एवं ₹3995.80 लाख Other than SC & ST मद में, अर्थात् कुल राशि 5068.80 लाख रू० की निकासी की जानी है। बजट उपबंध के अभाव में विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹188.13 लाख SC घटक में ₹104.20 लाख ST घटक में एवं ₹2755.58 लाख Other than SC & ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹3047.91 लाख की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-168 दिनांक-30.03.18 एवं आवंटनादेश सं०-169 दिनांक-30.03.18 द्वारा की गई है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष राशि ₹780.67 लाख SC घटक में एवं ₹1240.22 लाख Other than SC & ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹2020.89 लाख (बीस करोड़ बीस लाख नवासी हजार रू० मात्र) की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विमुक्त की जाने वाली राशि की विवरणी निम्नवत है:-

(राशि लाख रू में)

क्र सं	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय ईकाई	SC मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि	ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि	SC मद में विमुक्त की गई अनुपातिक राज्यांश की राशि	ST मद में विमुक्त की गई अनुपातिक राज्यांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त की गई अनुपातिक राज्यांश की राशि	SC मद में विमुक्त की जा रही अनुपातिक राज्यांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त की जा रही अनुपातिक राज्यांश की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Araria Phase-III	2599	53.6	2.6	363	53.6	2.6	363	0	0

2	Areraj Phase-II	1400	54.6	2.4	196.2	54.6	2.4	196.2	0	
3	Bahadurganj Phase-II	543	0.4	0	99.6	0.4	0	99.6	0	
4	Bakhri Phase-II	983	22.2	0.8	114.8	22.2	0.8	114.8	0	0
5	Bakhtiyarpur Phase-II	966	51	0.8	102.8	51	0.8	102.8	0	0
6	Balia Phase-II	1219	50.2	24.2	115.8	6.33	24.2	115.8	43.87	0
7	Banmankhi Phase-III	1070	15.4	4.8	148	0	4.8	148	15.4	0
8	Barh Phase-II	122	2.4	2.4	12.4	0	2.4	12.4	2.4	0
9	Benipur Phase-III	2803	90.6	20.6	296.8	0	20.6	296.8	90.6	0
10	Birpur Phase-II	490	1.2	0	31.4	0	0	31.4	1.2	0
11	Buxar Phase-II	58	6.2	1.4	3.6	0	1.4	3.6	6.2	0
12	Chakia Phase-II	723	24.2	8.2	112.2	0	8.2	112.2	24.2	0
13	Chanpatia Phase-II	493	8.4	1.2	59.8	0	1.2	59.8	8.4	0
14	Dumraon Phase-II	387	12.8	4.2	48.6	0	4.2	48.6	12.8	0
15	Ekma Phase-II	476	17	10.8	59.8	0	10.8	59.8	17	0
16	Gaya Phase-III	1440	60.6	6.6	208.2	0	6.6	208.2	60.6	0
17	Gogri Jamalpur Phase-III	775	0	0	16.6	0	0	16.6	0	0
18	Haveli Kharagpur Phase-II	118	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bihat Phase-II	1172	40.2	2.2	185.4	0	2.2	185.4	40.2	0
20	Hajipur Phase-III	2296	142.6	3.2	262	0	3.2	262	142.6	0
21	Hisua Phase-III	222	10	0	10.6	0	0	10.6	10	0
22	Jainagar Phase-II	317	18.2	0	11.2	0	0	11.2	18.2	0
23	Jamui Phase-III	1906	55.8	0.4	251.4	0	0.4	251.4	55.8	0
24	Janakpur Road Phase-II	537	12.8	0	70.4	0	0	45.38	12.8	25.02
25	Jogbani Phase-II	191	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Khusrupur Phase-II	627	11.4	0.2	52.4	0	0.2	0	11.4	52.4
27	Koath Phase-II	489	15.6	0.2	28.6	0	0.2	0	15.6	28.6
28	Koilwar Phase-II	331	8.2	0.4	35.2	0	0.4	0	8.2	35.2
29	Lakhisarai Phase-II	657	21.2	0	91	0	0	0	21.2	91
30	Madhubani Phase-III	1485	2.8	0	193	0	0	0	2.8	193
31	Manihari Phase-II	1207	25	5.4	131.6	0	5.4	0	25	131.6
32	Mokama Phase-II	1710	7.8	0	73.8	0	0	0	7.8	73.8
33	Motihari Phase-II	285	5.2	0.2	50.4	0	0.2	0	5.2	50.4
34	Motipur Phase-II	630	6.8	0	63.8	0	0	0	6.8	63.8
35	Murliganj Phase-II	786	10	0.2	71.2	0	0.2	0	10	71.2
36	Nasriganj Phase-II	194	2.6	0	3.6	0	0	0	2.6	3.6
37	Nawada Phase-II	109	8.8	0	10.6	0	0	0	8.8	10.6
38	Nirmali Phase-II	634	11	0	53.6	0	0	0	11	53.6
39	Pakridayal Phase-II	825	2.2	0	22.4	0	0	0	2.2	22.4
40	Rafiganj Phase-III	56	0	0	1.8	0	0	0	0	1.8
41	Rajgir Phase-II	70	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sherghati Phase-II	557	20.4	0.6	18.4	0	0.6	0	20.4	18.4
43	Sultanganj Phase-II	766	20.6	0	81.4	0	0	0	20.6	81.4
44	Supaul Phase-III	390	11	0.2	66.8	0	0.2	0	11	66.8
45	Teghra Phase-II	291	0.8	0	17	0	0	0	0.8	17
46	Warsaliganj Phase-III	1129	27	0	148.6	0	0	0	27	148.6
<b>Total</b>		<b>36534</b>	<b>968.8</b>	<b>104.2</b>	<b>3995.8</b>	<b>188.13</b>	<b>104.2</b>	<b>2755.58</b>	<b>780.67</b>	<b>1240.22</b>

2. स्वीकृत राशि ₹ 2020.89 लाख (बीस करोड़ बीस लाख नवासी हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹2020.89 लाख (बीस करोड़ बीस लाख नवासी हजार रू0 मात्र) में से ₹780.67 लाख रू0 (सात करोड़ अस्सी लाख सड़सठ हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037890305, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0305.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित 3640.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹ 2020.89 लाख (बीस करोड़ बीस लाख नवासी हजार रू0 मात्र) में से ₹ 1240.22 लाख (बारह करोड़ चालीस लाख बाईस हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051, निर्माण, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217030510303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0303.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित 2570.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०- 86/टि० पर दिनांक-10.05.18 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-85/टि० पर दिनांक-10.5.18 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.05.18

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

02

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दिनांक- 14.05.18

11.05.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

02

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दिनांक- 14.05.18

11.05.18

सरकार के विशेष सचिव।